

पत्रिका
(सं. १२५)

१९५३

नियमित प्रकाशनी या सहायक के अतिरिक्त या बन्दोबस्त अतिरिक्त प्रकाशनी के परामर्श के बिना, नही किया जायेगा।
कलेक्टर द्वारा, अतिरिक्त प्रकाशनी के परामर्श के बिना, नही किया जायेगा।
या बन्दोबस्त अतिरिक्त प्रकाशनी के परामर्श के बिना, नही किया जायेगा।